नारायण प्रसाद लोहिया

बनाम

निकुंज कुमार लोहिया और अन्य।

20 फ़रवरी 2002

[जी.बी. पटनायक, एस.एन. फुकन और एस.एन. वरियावा, जे.जे.]

मध्यस्थता औरसुलह अधिनियम 1996 धारा 4, 5, 10, 11, 16 और 34 (2)(ए)(5)- मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना-आपत्ति का अधिकार-छूट- दो मध्यस्थों द्वारा विवाद मध्यस्थता-पंचाट उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती इस आधार पर कि इस अधिनियम के तहत मध्यस्थ सम सदस्य नहीं हो सकते। आपत्ति-मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष नहीं उठाई गई-उच्च न्यायालय द्वारा पंचाट को अपास्त किया गया-वैधता-माना गया यदि पार्टी ट्रिब्यूनल की संरचना मध्यस्थ ट्रिब्यूनल के समक्ष निर्धारित अवधि में नहीं उठाती है तो एेसे आपत्ति के अधिकार को त्याग किया माना जाएगा। पंचाट अधिनियम की धारा 34(2)(1)(5) के तहत ही मध्यस्थ ट्रिब्यूनल द्वारा अपास्त किया जा सकता है अथवा प्रक्रिया पक्षकारों के बीच हुए समझौते के अनुरूप नहीं थी।

वर्तमान अपील में यह मुद्दा शामिल है कि क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनिवार्य प्रावधान को पार्टियों द्वारा त्याग किया जा सकता है।

अपीलकर्ता और उत्तरदाता दो मध्यस्थों के माध्यम से अपने विवादों को सुलझाने पर सहमत हुए और एक पंचाट पारित किया गया। इसके बाद, उत्तरदाताओं ने इस आधार पर फैसले को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया कि अधिनियम के तहत मध्यस्थों की एक समान संख्या नहीं हो सकती है। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पंचाट को अपास्त कर दिया। उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील खारिज कर दी गई। इसलिए वर्तमान अपील। चूँकि इसमें शामिल प्रश्न कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया गया।

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि यदि धारा 16(2) के तहत निर्धारित समय के भीतर मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना पर आपत्ति स्वयं मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष नहीं उठाई गई, तो यह माना जा सकता है कि पार्टी ने अपने अधिकार को त्याग कर दिया है। धारा 4 के आधार पर आपत्ति करने का अधिकार; अधिनियम की धारा 34(2)(ए)(वी) मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना के आधार पर किसी पंचाट को अपास्त करने की अनुमति नहीं देती है यदि संरचना पार्टियों के समझौते के अनुसार थी तथा प्रस्तुत मामले में यह संरचना पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के अनुसार थी, पंचाट को अपास्त नहीं किया जा सकता था।

उत्तरदाताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि एक समझौता जो पार्टियों को सम संख्या में मध्यस्थों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, वह अधिनियम की धारा 10 के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होगा जिसे अपमानित नहीं किया जा सकता है; उस धारा 16 में बी द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की संरचना को किसी भी चुनौती का प्रावधान नहीं था और चूंकि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की एक अमान्य रचना क्षेत्राधिकार की जड़ तक जाती है, इसलिए उच्च न्यायालय को पंचाट को अपास्त करना उचित था।

न्यायालय द्वारा संदर्भित कानून के प्रश्न का उत्तर देते हुए,अभिनिर्धारित किया गया :-

1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 16 के तहत, एक पक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष ही चुनौती दे सकता है। ऐसी चुनौती, धारा 16(2) के तहत, बचाव बयान प्रस्तुत करने से पहले ली जानी चाहिए। धारा 16(2) यह स्पष्ट करती है कि ऐसी चुनौती स्वीकार की जा सकती है, भले ही पार्टी ने मध्यस्थ की नियुक्ति में भाग लिया हो और/या स्वयं मध्यस्थ नियुक्त किया हो। एक पार्टी स्वतंत्र होगी, यदि वह ऐसी चुनौती न उठाना चाहे। इस प्रकार, धारा 10 और 16 को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना पर आपत्ति एक ऐसा मामला है जो

अपमानजनक है। यह अपमानजनक है क्योंकि कोई भी पक्ष धारा 16(2) में निर्धारित समय के भीतर आपत्ति न करने के लिए स्वतंत्र है। यदि कोई पार्टी आपत्ति न करने का विकल्प चुनती है तो धारा 4 के तहत अधिकार का त्याग समझा जाएगा। इस प्रकार, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि धारा 10 एक गैर-अपमानजनक प्रावधान है। धारा 10 को धारा 16 के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इसलिए, यह एक अपमानजनक प्रावधान है। वर्तमान मामले में उत्तरदाताओं ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है, जैसा कि धारा 16 में प्रदान किया गया है, यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने आपत्ति करने का अपना अधिकार छोड़ दिया है। [1148-डी-एफ]

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट। लिमिटेड, [2002] 1 स्केल 465, पर निर्भर।

2. भले ही पार्टियां केवल दो मध्यस्थों की नियुक्ति का प्रावधान करती हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि समझौता अमान्य हो जाता है। ऐसा कोई कारण नहीं है, कि दोनों मध्यस्थ बाद के चरण में, यानी यदि और जब उनके बीच मतभेद हो, तब तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति क्यों नहीं कर सकते। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मतभेद होने पर मध्यस्थता की कार्यवाही विफल न हो। लेकिन यदि दोनों मध्यस्थ सहमत होते हैं और एक साझा निर्णय देते हैं तो कार्यवाही में कोई निराशा नहीं होती है। ऐसे

मामले में उनकी आम राय कायम रहती, भले ही तीसरा मध्यस्थ, यह मानते हुए कि एक था, असहमत होता। इस प्रकार समय, धन औरव्यय की कोई बर्बादी नहीं होगी, यदि कोई पक्ष खुली आँखों से दो व्यक्तियों की मध्यस्थता में जाने के लिए सहमत होता है और फिर कार्यवाही में भाग लेता है। इसके विपरीत समय, धन औरऊर्जा की बर्बादी होगी यदि ऐसी पार्टी को अस्वीकार करने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि पंचाट उसकी पसन्द का नहीं था। ऐसी पार्टी को विरोध करने की अनुमति देना किसी भी सार्वजनिक नीति को आगे बढ़ाना नहीं होगा और यह सबसे अधिक असमान होगा,

3. धारा 34(2)(ए)(v) केवल तभी लागू होती है जब "मध्यस्थता की संरचना ट्रिब्यूनल या मध्यस्थ प्रक्रिया पक्षकारों के समझौते के अनुरूप नहीं थी"। यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ की संरचना प्रक्रिया पार्टियों के समझौते के अनुसार है, जैसा कि इस मामले में है, तो इस प्रावधान के तहत कोई चुनौती नहीं दी जा सकती. लेकिन ऐसी स्थिति में भी पंचाट को चुनौती देने का अधिकार प्रतिबंधित है। एक चुनौती हो सकती है, बशर्ते पार्टियों का समझौता भाग । के प्रावधान के साथ विरोधाभास में हो, जिसे पार्टियां अपमानित नहीं कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में, भले ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना पार्टियों के समझौते के अनुसार नहीं है, लेकिन यदि ऐसी संरचना या प्रक्रिया उक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार है, तो पार्टी पंचाट को चुनौती नहीं दे सकती है . शब्द

"इस तरह के समझौते को विफल करना" मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना प्रदान करने वाले समझौते का संदर्भ है। वे तभी चलन में आएंगे जब मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना के लिए कोई समझौता नहीं होगा। यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना के लिए कोई समझौता नहीं है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना उक्त अधिनियम के भाग । के अनुसार नहीं थी, तो भी पंचाट के लिए चुनौती उपलब्ध होगी। इस प्रकार जब तक मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना पार्टियों के समझौते के अनुसार होती है,धारा 34 किसी पंचाट को केवल इस आधार पर चुनौती देने की अनुमति नहीं देती है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना इसके साथ संघर्ष में थी। उक्त अधिनियम के भाग । के प्रावधान। इससे यह भी पता चलता है कि धारा 10 एक अपमानजनक प्रावधान है। [1150-एफ-एच; 1151-ए-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1382/2002.

साथ

सी.ए. की संख्या 1384/2002 .

कलकत्ता उच्च न्यायालय, के ए.पी.ओ. संख्या 620/1999 मे पारित . निर्णय एवं आदेश दिनांक 18.5.2000 से ।

राकेश द्विवेदी, मनोज सक्सैना, सुश्री नादिरा पथरिया एवं प्रवीर चौधरी अपीलकर्ता की ओर से ।

कैलाश वासदेव, के.के. वेणुगोपाल, एस. सिंघवी, के.वी. विजय कुमार, पी.एन. मिश्रा , अनिल अग्रवाल और सुश्री बीना माधवन, जयदीप गुप्ता और सुश्री नीरू वैद उत्तरदाताओं के लिए

न्यायालय के निर्णय, न्यायधीश एस.एन. वरियावा,जे. द्वारा पारित किया गया :-

आवेदन स्वीकृत.

यह अपील दिनांक 18 मई, 2000 के एक निर्णय के विरुद्ध है।

संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ता और प्रतिवादी परिवार के सदस्य हैं जिनके बीच पारिवारिक व्यवसायों और संपत्तियों के संबंध में विवाद और मतभेद थे। सभी पक्ष श्री प्रमोद कुमार खेतान के माध्यम से अपने विवादों और मतभेदों को सुलझाने पर सहमत हुए । इसके बाद, 29 सितंबर 1996 को वे इस बात पर सहमत हुए कि उक्त श्री प्रमोद कुमार खेतान और श्री सार्दुल सिंह जैन उनके विवादों का समाधान करेंगे। इस आदेश के प्रयोजनों के लिए हम यह तय नहीं कर रहे हैं कि इन दोनों व्यक्तियों ने मध्यस्थ या मध्यस्थ के रूप में कार्य किया है या नहीं। यह दोनों पक्षों के बीच विवाद का मामला है, जिस पर निर्णय लेने के लिए फिलहाल हमें नहीं बुलाया गया है। इस आदेश के

प्रयोजनों के लिए हम मान रहे हैं कि पक्ष इन दो व्यक्तियों की मध्यस्थता के लिए सहमत हुए थे।

इन दोनों व्यक्तियों के समक्ष पार्टियों ने अपने-अपने दावे किये. कार्यवाही में सभी पक्षों ने हिस्सा लिया. 6 अक्टूबर 1996 को उक्त श्री प्रमोद कुमार खेतान और श्री सार्दुल सिंह जैन द्वारा एक पंचाट पारित किया गया।

22 दिसंबर, 1997 को पहले प्रतिवादी ने 6 अक्टूबर, 1996 के पंचाट को अपास्त करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया। 17 जनवरी, 1998 को दूसरे प्रतिवादी ने इस पंचाट को अपास्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया। इन दोनों आवेदनों में से एक आधार यह था कि मध्यस्थता दो मध्यस्थों द्वारा की गई थी, जबकि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) के तहत मध्यस्थों की संख्या सम नहीं हो सकती है। यह तर्क दिया गया कि दो मध्यस्थों द्वारा की गई मध्यस्थता उक्त अधिनियम के वैधानिक प्रावधान के खिलाफ थी और इसलिए शून्य और अमान्य थी। यह तर्क दिया गया कि परिणामस्वरूप यह पंचाट अप्रवर्तनीय था और पार्टियों पर बाध्यकारी नहीं था। इन तर्कों को कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का समर्थन मिला, जिन्होंने 17 नवंबर, 1998 को पंचाट को

अपास्त कर दिया । 18 मई, 2000 को अपील भी खारिज कर दी गई। इसलिए यह इस न्यायालय में अपील है।

जब यह मामला 16 जनवरी, 2000 को सुनवाई में पहुंचा, तो इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

"प्रतिस्थापन आवेदनों की अनुमति है।

इसी तरह का प्रश्न, जैसा कि इस मामले में शामिल है, डोडसल प्राइवेट लिमिटेड बनाम दिल्ली नगर निगम के दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम (1996) 2 एससीसी 576 के मामले में इस न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष आया था (1996) 2 एससीसी 576 उस मामले में इस न्यायालय ने महसूस किया कि इस प्रश्न पर कि क्या मध्यस्थता अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान को बिल्कुल भी माफ किया जा सकता है, वेवर्ली जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम रेमन एंड कंपनी (इंडिया) पी. लिमिटेड में इस न्यायालय के पहले के फैसले के मद्देनजर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने की आवश्यकता है।. (1963) 3 एससीआर 209 मामले के उक्त दृष्टिकोण में बेंच ने प्रश्न को इस न्यायालय की एक बड़ी बेंच को भेज दिया। अब यह देखा गया है कि उक्त संविधान पीठ, जिसे संदर्भित मामले पर विचार किया गया था, ने

उस मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया, जैसा कि डोडसल प्राइवेट लिमिटेड बनाम: दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग के मामले में सिविल अपील सं.2372-2374/1987 (1996) 7 स्केल (एसपी) 1, लेकिन इस मुद्दे का निर्णय अन्य आधारों पर किया गया।

चूँकि उस प्रश्न पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है और इसमें शामिल प्रश्न कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भविष्य के मामलों में उठने की संभावना है, हमें यह उचित लगता है कि इस मुद्दे का निर्णय कम से कम तीन माननीय न्यायाधीशों की बड़ी पीठ द्वारा किया जाना चाहिए और इसलिए, देखें याचिकाएँ, अर्थात् एसएलपी (सी) 12384 और 2000 की 13123, तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ को सौंपी गईं।

तदनुसार, रजिस्ट्री को उचित आदेश के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात रखने का निर्देश दिया जाता है।"

तदनुसार, यह मामला इस पीठ के समक्ष है। इस स्तर पर हम केवल संदर्भित कानून के प्रश्न पर निर्णय ले रहे हैं अर्थात क्या उक्त अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान को पार्टियों द्वारा माफ किया जा सकता है।

इस स्तर पर, उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना उचित होगा । धारा 4 5 10 11 16 और 34 इस प्रकार पढ़ें:

"4. आपत्ति करने के अधिकार की छूट। - एक पक्ष जो यह जानता है-

(ए) इस भाग का कोई भी प्रावधान जिसका कई पक्षकार अपमान करते हैं, या

(बी) मध्यस्थता समझौते के तहत कोई आवश्यकता ,

का अनुपालन नहीं किया गया है और फिर भी अनुचित देरी के बिना इस तरह के गैर-अनुपालन पर अपनी आपत्ति बताए बिना मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ता है या, यदि उस आपत्ति को बताने के लिए समय सीमा प्रदान की जाती है, तो उस अवधि के भीतर, यह माना जाएगा कि उसने अपना अधिकार छोड़ दिया है। तो आपत्ति करने के लिए.

5. न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा. - तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, इस भाग द्वारा शासित मामलों में कोई भी न्यायिक प्राधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जहां इस भाग में ऐसा प्रावधान किया गया हो।

10. मध्यस्थों की संख्या.- (1) पक्ष मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि ऐसी संख्या सम संख्या नहीं होगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारण में विफल रहने पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण में एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा।

11. मध्यस्थों की नियुक्ति. - (1) किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति मध्यस्थ हो सकता है, जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो।

(2) उपधारा (6) के अधीन , पार्टियां मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी समझौते के विफल होने पर, तीन मध्यस्थों के साथ मध्यस्थता में, प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और दो नियुक्त मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा।

(4) यदि उपधारा (3) में नियुक्ति प्रक्रिया लागू होती है और -

(ए) एक पक्ष दूसरे पक्ष से ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है ; या

(बी) दो नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहते हैं,

नियुक्ति किसी पक्ष के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाएगी।

(5) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी समझौते को विफल करना, एकमात्र मध्यस्थ के साथ मध्यस्थता में, यदि पार्टियां एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर मध्यस्थ पर सहमत होने

में विफल रहती हैं सहमत हैं कि नियुक्ति किसी पक्ष के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की जाएगी।

(6) जहां, पार्टियों द्वारा सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के तहत , -

(ए) कोई पार्टी उस प्रक्रिया के तहत अपेक्षित कार्य करने में विफल रहती है; या

(बी) पार्टियां, या दो नियुक्त मध्यस्थ, उस प्रक्रिया के तहत अपेक्षित समझौते तक पहुंचने में विफल रहते हैं; या

(सी) कोई व्यक्ति, जिसमें कोई संस्था भी शामिल है, उस प्रक्रिया के तहत उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को करने में विफल रहता है,

एक पक्ष कई बार मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था से आवश्यक उपाय करने का अनुरोध करता है, जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया पर समझौता नियुक्ति हासिल करने के लिए अन्य साधन प्रदान नहीं करता है।

(7) उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) द्वारा मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था को सौंपे गए मामले पर निर्णय अंतिम होता है।

(8) मध्यस्थ नियुक्त करते समय मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था को निम्नलिखित बातों का उचित ध्यान रखना होगा -

(ए) पार्टियों के समझौते से मध्यस्थ के लिए आवश्यक कोई योग्यता; और

(बी) अन्य विचार जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति को सुरक्षित करने की संभावना रखते हैं।

(9) किसी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में एकमात्र या तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति के मामले में , भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था उन पार्टियों की राष्ट्रीयता के अलावा किसी अन्य राष्ट्रीयता के मध्यस्थ को नियुक्त कर सकते हैं जहां पार्टियां संबंधित हैं विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लिए.

(10) मुख्य न्यायाधीश ऐसी योजना बना सकते हैं जो उन्हें उपधारा (4) या उपधारा (5) या उपधारा (6) द्वारा सौंपे गए मामलों से निपटने के लिए उचित लगे।

(11) जहां उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों या उनके नामितों, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामितों से एक से अधिक अनुरोध किए गए हैं संबंधित उपधारा के तहत सबसे पहले जिसे अनुरोध किया गया है, वही अनुरोध पर निर्णय लेने में सक्षम होगा।

(12) (ए) जहां उप-धारा (4), (5), (6), (7) (8) और (10) में निर्दिष्ट मामले एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में उठते हैं, "मुख्य

न्यायाधीश " का संदर्भ "उन उप-धाराओं को "भारत के मुख्य न्यायाधीश" के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा ।"

(बी) जहां उप-धारा (4), (5), (6), (7), (8) और (10) में निर्दिष्ट मामले किसी अन्य मध्यस्थता में उठते हैं, उनमें "मुख्य न्यायाधीश" का संदर्भ दिया जाता है । उप-धाराओं को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जिनकी स्थानीय सीमा के भीतर धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ई) में निर्दिष्ट प्रमुख सिविल न्यायालय स्थित है और ,जहां उच्च न्यायालय उस खंड में स्वयं उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित न्यायालय है।"

16. अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की क्षमता. - (1) मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र पर शासन कर सकता है, जिसमें मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय शामिल है, और उस उद्देश्य के लिए, -

(ए) एक मध्यस्थता खंड जो अनुबंध का हिस्सा बनता है उसे अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र एक समझौते के रूप में माना जाएगा; और

(बी) मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा एक निर्णय कि अनुबंध शून्य और शून्य है, मध्यस्थता खंड की अमान्यता को वैधानिक रूप से लागू नहीं करेगा।

(2) यह दलील कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं है, बचाव का बयान प्रस्तुत करने के बाद नहीं उठाया जाएगा ; हालाँकि, किसी पक्ष को केवल इसलिए ऐसी याचिका दायर करने से नहीं रोका जाएगा क्योंकि उसने एक मध्यस्थ नियुक्त किया है, या उसकी नियुक्ति में भाग लिया है।

(3) यह दलील कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने अधिकार के दायरे से बाहर जा रहा है, जैसे ही मध्यस्थ कार्यवाही के दौरान उसके अधिकार के दायरे से बाहर होने का आरोप लगाया जाता है, उठाया जाएगा।

(4) मध्यस्थ न्यायाधिकरण, उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किसी भी मामले में, बाद की याचिका स्वीकार कर सकता है यदि वह देरी को उचित मानता है।

(5) मध्यस्थ न्यायाधिकरण उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट याचिका पर निर्णय लेगा और, जहां मध्यस्थ न्यायाधिकरण याचिका को खारिज करने का निर्णय लेता है, मध्यस्थ कार्यवाही जारी रखेगा और एक मध्यस्थ पंचाट देगा .

(6) ऐसे मध्यस्थ निर्णय से व्यथित कोई पक्ष धारा 34 के अनुसार ऐसे मध्यस्थ पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता है ।

34. मध्यस्थ पंचाट को अपास्त करने के लिए आवेदन.- (1) किसी मध्यस्थ पंचाट के खिलाफ अदालत का सहारा केवल उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अनुसार ऐसे पंचाट को अपास्त करने के लिए एक आवेदन द्वारा किया जा सकता है।

(2) किसी मध्यस्थ पंचाट को न्यायालय द्वारा केवल तभी अपास्त किया जा सकता है, जब-

(ए) आवेदन करने वाला पक्ष सबूत प्रस्तुत करता है कि-

(i) एक पार्टी किसी अक्षमता के अधीन थी; या

(ii) मध्यस्थता समझौता उस कानून के तहत वैध नहीं है जिसके लिए पार्टियों ने इसे अधीन किया है या, उस पर किसी भी संकेत के अभाव में, उस समय लागू कानून के तहत वैध नहीं है; या

(iii) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थ कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा वह अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ था; या

(iv) मध्यस्थता पंचाट ऐसे विवाद से संबंधित है जिस पर विचार नहीं किया गया है या जो मध्यस्थता में प्रस्तुत करने की शर्तों के अंतर्गत

नहीं आता है, या इसमें मध्यस्थता में प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय शामिल हैं ;

बशर्ते कि, यदि मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों पर निर्णय को प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों से अलग किया जा सकता है, तो मध्यस्थता पंचाट का केवल वह हिस्सा जिसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों पर निर्णय शामिल हैं, को अलग रखा जा सकता है; या

(v) मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना पार्टियों के समझौते के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा समझौता इस भाग के प्रावधान के साथ संघर्ष में न हो, जिससे पार्टियां अपमानित नहीं हो सकतीं, या, ऐसे समझौते के विफल होने पर, इस भाग के अनुरूप नहीं था; या

(बी) अदालत ने पाया कि-

(i) विवाद की विषय वस्तु फिलहाल लागू कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटाने में सक्षम नहीं है, या

(ii) मध्यस्थ निर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है।"

उक्त अधिनियम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने और उससे जुड़े और उसके प्रासंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम का एक उद्देश्य मध्यस्थता प्रक्रिया में न्यायालयों की भूमिका को कम करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धारा 5 प्रदान की गई है। न्यायिक

अधिकारियों को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि अधिनियम में ऐसा प्रावधान न किया गया हो। इसके अलावा धारा 34 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा पुरस्कार को केवल उसमें उल्लिखित आधारों पर ही रद्द किया जा सकता है। इसलिए जिन पहलुओं पर विचार करना होगा उनमें से एक यह है कि क्या पहले और दूसरे उत्तरदाताओं का मामला धारा 34 के तहत प्रदान की गई किसी भी श्रेणी में आता है ।

श्री वेणुगोपाल का कहना है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 एक अनिवार्य प्रावधान है जिसे अपमानित नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि भले ही पार्टियां मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसी संख्या एक सम संख्या नहीं हो सकती है। उनका कहना है कि कोई भी समझौता जो पार्टियों को सम संख्या में मध्यस्थ नियुक्त करने की अनुमति देता है, उक्त अधिनियम के इस अनिवार्य प्रावधान के विपरीत होगा। उनका कहना है कि ऐसा समझौता अमान्य और शून्य होगा क्योंकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन वैध रूप से नहीं किया गया होगा। उनका मानना है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना ही कार्यवाही को अमान्य कर रही है और पंचाट, भले ही पारित हो जाए, अमान्य और अप्रवर्तनीय होगा।

श्री वेणुगोपाल का कहना है कि उक्त अधिनियम की धारा 4 केवल तभी लागू होगी बशर्ते:

(ए) एक पक्ष को पता था कि वह इस भाग के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन कर सकता है

(बी) एक पक्ष जानता था कि मध्यस्थता समझौते के तहत किसी भी आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया था और पार्टी फिर भी मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ी। उनका कहना है कि, यह मामला उपरोक्त श्रेणी (बी) के अंतर्गत नहीं आता है। उनका मानना है कि श्रेणी (ए) भी लागू नहीं होगी क्योंकि छूट केवल उस मामले के संबंध में हो सकती है जिससे कोई पार्टी अपमानित हो सकती है। उनका कहना है कि उन प्रावधानों के संबंध में जो गैर-व्युत्पन्न हैं, अब छूट दी जा सकती है। उनका कहना है कि धारा 10 एक ऐसा प्रावधान है जिसका कोई पक्ष उल्लंघन नहीं कर सकता। उनका कहना है कि जिन मामलों को पार्टी खारिज नहीं कर सकती, वे धारा 4, 8 9 10 11 (4) और (6)12, 13(4) 16, (2) (3) और (5) 22(4) में दिए गए हैं। 27 31 33 34 (2) और (4) 35,36 37 38(1) और 43(3). उनका कहना है कि इसके विपरीत जिन मामलों से कोई पार्टी अपमानित हो सकती है वे धारा 11(2) ,19 (1) और (2) 20 (1) और (2) 22(1) 24 25 26 और 31(3) के तहत प्रदान किए गए हैं।)

11. श्री वेणुगोपाल का मानना है कि धारा 10 अनिवार्य रूप से सार्वजनिक हित में और सार्वजनिक नीति के मामले में समान संख्या में मध्यस्थों की नियुक्ति को रोकती है। उनका मानना है कि यदि मध्यस्थों की संख्या सम है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि मध्यस्थता के अंत में वे भिन्न हो सकते हैं। उनका मानना है कि ऐसे मामले में पक्षकारों के पास कोई समाधान नहीं होगा और उन्हें फिर से मुकदमेबाजी या नए सिरे से मध्यस्थता शुरू करनी होगी। उनका मानना है कि इससे समय, धन और ऊर्जा की भारी बर्बादी होगी। उनका कहना है कि समय, धन और ऊर्जा की ऐसी बर्बादी से बचने के लिए विधायिका ने सार्वजनिक नीति में गैर-अपमानजनक तरीके से प्रावधान किया है कि मध्यस्थों की संख्या सम नहीं होगी।

उनका कहना है कि धारा 16 में मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना को किसी भी चुनौती का प्रावधान नहीं है। उनका कहना है कि धारा 34(2)(v) को पढ़ने से पता चलता है कि विधानमंडल ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना को चुनौती देने पर विचार किया है। उनका मानना है कि महत्वपूर्ण रूप से धारा 16 मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना को चुनौती देने का प्रावधान नहीं करती है। उनका मानना है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अमान्य संरचना क्षेत्राधिकार की जड़ तक जाती है। उनका मानना है कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण जो कि अवैध है, उसके पास अपने अधिकार क्षेत्र की अंतर्निहित कमी के सवाल पर निर्णय लेने का

कोई अधिकार क्षेत्र या शक्ति नहीं होगी। उनका मानना है कि धारा 16 इस तरह की चुनौती को कवर नहीं करती है और न ही इसे नियंत्रित करेगी। श्री वेणुगोपाल का मानना है कि इस आधार पर पंचाट को अपास्त करके उच्च न्यायालय सही था। उनका कहना है कि इस अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

दूसरी ओर, श्री द्विवेदी का मानना है कि धारा 4 , और 10 और 16 उक्त अधिनियम में प्रदान की गई एकीकृत योजना का हिस्सा हैं। उनका कहना है कि प्रावधानों को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि उनमें से किसी के बीच कोई टकराव न हो या कोई भी प्रावधान निरर्थक न हो जाए। उनका कहना है कि निस्संदेह धारा 10 में प्रावधान है कि मध्यस्थों की संख्या सम नहीं होनी चाहिए। वह बताते हैं कि धारा 10 शब्दों से शुरू होती है" "पार्टियाँ मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं"। उनका मानना है कि मध्यस्थता पार्टियों के बीच समझौते का मामला है। उनका मानना है कि आम तौर पर, मध्यस्थता में, पार्टियाँ स्वतंत्र होती हैं मध्यस्थों की संख्या और प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए। पार्टियाँ मध्यस्थों की सम संख्या पर सहमत हो सकती हैं। उनका मानना है कि एक पार्टी द्वारा सम संख्या में मध्यस्थों पर सहमति जताने के बाद भी वह मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना पर आपत्ति कर सकता है। उनका मानना है कि ऐसी आपत्ति को बचाव का बयान प्रस्तुत करने की तारीख से पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष लिया जाना चाहिए । वह बताते हैं

कि धारा 16(2) के तहत ऐसी आपत्ति ली जा सकती है, भले ही पार्टियों ने नियुक्ति की हो या नियुक्ति में भाग लिया हो मध्यस्थ। उनका मानना है कि धारा 16 के शब्द इतने व्यापक हैं कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना पर आपत्ति को भी कवर किया जा सकता है । उन्होंने आपत्ति प्रस्तुत की है कि धारा 4 , 10 और 16 को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि यदि कोई आपत्ति नहीं ली गई है धारा 16(2) के तहत निर्धारित समय के भीतर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष , तो यह माना जाएगा कि पार्टी ने धारा 4 के आधार पर आपत्ति करने का अपना अधिकार छोड़ दिया है । उनका कहना है कि किसी फैसले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना के आधार पर केवल तभी चुनौती दी जा सकती है, जब धारा 16 के तहत पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष आपत्ति उठाई गई हो और मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने ऐसी आपत्ति को खारिज कर दिया हो।

श्री द्विवेदी का कहना है कि धारा 34(2)(ए)(v) मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना के आधार पर किसी पंचाट को अपास्त करने की अनुमति नहीं देती है यदि संरचना पार्टियों के समझौते के अनुसार थी। उनका कहना है कि धारा 34(2)(ए)(वी) तभी लागू होगी जब संरचना पार्टियों के समझौते के अनुरूप नहीं होगी। उनका कहना है कि इस मामले में रचना पार्टियों के समझौते के अनुसार है और इसलिए, इस आधार पर पंचाट को अपास्त नहीं किया जा सकता है। श्री द्विवेदी का कहना है कि यह मानते हुए भी कि धारा 34(2)(ए)(v) मध्यस्थ न्यायाधिकरण की

संरचना के आधार पर चुनौती की अनुमति देती है, फिर भी न्यायालय पंचाट को अपास्त करने से इनकार कर सकता है। वह बताते हैं कि धारा 34 में इस्तेमाल किए गए शब्द हैं, "एक मध्यस्थ पंचाट को अदालत द्वारा रद्द किया जा सकता है"। उनका कहना है कि इस मामले में प्रतिवादी ने ऐसा समझौता किया था। उनका कहना है कि उन्होंने बिना किसी आपत्ति के मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लिया था। उनका मानना है कि ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता है जो किसी ऐसे पक्ष को अनुमति दे जिसने इस तरह से नियुक्त किया है और इसमें भाग लिया है और फिर विरोध करने और पंचाट को अपास्त करने की मांग की है । उनका मानना है कि पंचाट को अलग रखकर मध्यस्थता में खर्च होने वाले समय, धन और ऊर्जा की बर्बादी को अनुमति देना सार्वजनिक नीति के खिलाफ होगा । उनका मानना है कि ऐसी पार्टी को इस आधार पर पंचाट को चुनौती देने की अनुमति देना भी असमान होगा। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय के विवादित आदेशों को बरकरार नहीं रखा जा सकता और उन्हें अपास्त करने की जरूरत है ।

हमने पक्षों को विस्तार से सुना है/हमने प्रस्तुतियों पर विचार किया है। निस्संदेह, धारा 10 में प्रावधान है कि मध्यस्थों की संख्या सम संख्या नहीं होगी। प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि क्या धारा 10 एक गैर-व्युत्पन्न प्रावधान है। हमारे विचार में इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न पर निर्भर करेगा कि क्या, उक्त अधिनियम के तहत, किसी पक्ष को मध्यस्थ न्यायाधिकरण

की संरचना पर आपत्ति करने का अधिकार है, यदि ऐसी संरचना उक्त अधिनियम के अनुसार नहीं है और यदि ऐसा है किस अवस्था में. यह याद रखना चाहिए कि मध्यस्थता एक समझौते का प्राणी है। जब तक पक्षों के बीच लिखित में कोई मध्यस्थता समझौता न हो तब तक कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती।

उक्त अधिनियम में सक्षमता, निष्पक्षता एवं क्षेत्राधिकार को चुनौती देने हेतु धारा 12 , 13 एवं 16 में प्रावधान किये गये हैं । हालाँकि ऐसी चुनौती मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष ही होनी चाहिए।

यह कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (निर्णय दिनांक 30 जनवरी, 2002, सिविल अपील सं.5880-5889/1997) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा आयोजित किया गया है कि धारा 16 मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र पर शासन करने में सक्षम बनाती है। यह माना गया है कि धारा 16 के तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर फैसला दे सकता है। यह माना जाता है कि धारा 16 के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण प्राधिकरण , अपने अधिकार क्षेत्र की चौड़ाई तक ही सीमित नहीं है बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र की जड़ तक भी जाता है। यह निर्णय न केवल इस न्यायालय पर बाध्यकारी है, बल्कि हम इससे सम्मानजनक सहमत हैं। इस

प्रकार यह अब यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि, धारा 16 के तहत , पार्टी मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दे सकती है। ऐसी चुनौती, धारा 16(2) के तहत, बचाव का बयान प्रस्तुत करने से पहले स्वीकार की जानी चाहिए । धारा 16(2) यह स्पष्ट करती है कि ऐसी चुनौती स्वीकार की जा सकती है, भले ही पार्टी ने मध्यस्थ की नियुक्ति में भाग लिया हो और/या स्वयं मध्यस्थ नियुक्त किया हो। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कोई पार्टी चाहे तो ऐसी चुनौती न उठाने के लिए स्वतंत्र होगी। इस प्रकार धारा 10 और 16 को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना पर आपत्ति एक ऐसा मामला है जो अपमानजनक है। यह अपमानजनक है क्योंकि कोई भी पक्ष धारा 16(2) में निर्धारित समय के भीतर आपत्ति न करने के लिए स्वतंत्र है । यदि कोई पार्टी आपत्ति न करने का विकल्प चुनती है तो धारा 4 के तहत छूट दी जाएगी । इस प्रकार, हम इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि धारा 10 एक गैर-व्युत्पन्न प्रावधान है। हमारे विचार में धारा 10 को धारा 16 के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इसलिए यह एक अपमानजनक प्रावधान है।

हम श्री वेणुगोपाल के इस तर्क को भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि, सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में, धारा 10 को अपमानजनक नहीं माना जाना चाहिए। भले ही यह सोचा गया हो कि उक्त अधिनियम अब मध्यस्थता के विषय पर एक एकीकृत कानून है, यह सभी आकस्मिकताओं

के लिए प्रावधान नहीं कर सकता है और न ही करता है। मध्यस्थता पार्टियों के बीच समझौते का प्राणी है, इसलिए विधायिका के लिए सभी पहलुओं को कवर करना असंभव होगा। उदाहरण के तौर पर धारा 10 पार्टियों को मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने की अनुमति देती है, बशर्ते कि ऐसी संख्या एक सम संख्या न हो। धारा 11(2) पार्टियों को मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रक्रिया पर सहमत होने की अनुमति देती है। धारा 11 यह बताती है कि यदि पक्ष किसी प्रक्रिया पर सहमत नहीं हैं या यदि सहमत प्रक्रिया विफल हो जाती है तो मध्यस्थों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। धारा 11 को पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल उन मामलों में नियुक्तियों का प्रावधान करता है जहां केवल एक मध्यस्थ या तीन मध्यस्थ हैं। समझौते के द्वारा पार्टियां 5 या 7 मध्यस्थों की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती हैं। यदि वे किसी प्रक्रिया का प्रावधान नहीं करते हैं , तो धारा 11 में ऐसी आकस्मिकता के लिए कोई प्रावधान नहीं है। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि पार्टियों का समझौता अमान्य है? जाहिर तौर पर उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। निस्संदेह धारा 11 में प्रदान की गई प्रक्रिया यथोचित परिवर्तनों के साथ 5 या 7 या अधिक मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए लागू होगी । इसी प्रकार, भले ही पार्टियां केवल दो मध्यस्थों की नियुक्ति का प्रावधान करती हैं , इसका मतलब यह नहीं है कि समझौता अमान्य हो जाता है। धारा 11(3) के तहत दोनों मध्यस्थों को एक तीसरा मध्यस्थ नियुक्त करना चाहिए जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में

कार्य करेगा। ऐसी नियुक्ति अधिमानतः शुरुआत में ही की जानी चाहिए। हालाँकि, हमें कोई कारण नहीं दिखता कि दोनों मध्यस्थ बाद के चरण में यानी जब भी उनके बीच मतभेद हो, तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति क्यों नहीं कर सकते। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मतभेद होने पर मध्यस्थता की कार्यवाही विफल न हो। लेकिन यदि दोनों मध्यस्थ सहमत होते हैं और एक साझा निर्णय देते हैं तो कार्यवाही में कोई निराशा नहीं होती है। ऐसे मामले में उनकी आम राय कायम रहती, भले ही तीसरा मध्यस्थ, यह मानते हुए कि एक था, असहमत होता। इस प्रकार हम यह नहीं देख पाते कि यदि कोई पक्ष, खुली आँखों से, दो व्यक्तियों की मध्यस्थता में जाने के लिए सहमत होता है और फिर कार्यवाही में भाग लेता है, तो समय, धन और व्यय की बर्बादी कैसे होगी। इसके विपरीत यदि ऐसी पार्टी को पंचाट उसकी पसंद का नहीं होने के कारण विरोध करने की अनुमति दी गई तो समय, धन और ऊर्जा की बर्बादी होगी। ऐसी पार्टी को विरोध करने की अनुमति देना किसी भी सार्वजनिक नीति को आगे बढ़ाना नहीं होगा और यह सबसे अधिक असमान होगा।

अन्यथा भी, उक्त अधिनियम के तहत और किसी मध्यस्थ पंचाट को चुनौती देने के आधार बहुत सीमित हैं। अब किसी पंचाट को केवल धारा 12 , 13 और 16 के तहत चुनौती के आधार पर अपास्त किया जा सकता है, बशर्ते ऐसी चुनौती पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष उठाई गई हो और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दी गई हो। एकमात्र अन्य

प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा 34 है। एकमात्र आधार, जिसे श्री वेणुगोपाल द्वारा सेवा में रखा जा सकता है, वह धारा 34(2)(ए)(v) के तहत प्रदान किया गया है । धारा 34(2)(ए)(v) यहां ऊपर निकाली गई है। श्री वेणुगोपाल के अनुसार यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना, भले ही यह पार्टियों के समझौते के अनुसार हो, अधिनियम के एक प्रावधान के साथ टकराव में है, जिससे पार्टियां अपमानित नहीं हो सकती हैं, तो पार्टी पंचाट को अलग रखने का हकदार है । उनका कहना है कि शब्द "जब तक कि ऐसा समझौता इस भाग के प्रावधान के साथ टकराव में न हो, जिसे पक्षकार खारिज नहीं कर सकते" और साथ ही "ऐसे समझौते को विफल करना" शब्दों से पता चलता है कि यदि समझौता इसके साथ टकराव में है तो एक पंचाट को अपास्त किया जा सकता है । उक्त अधिनियम के भाग । का प्रावधान या यदि कोई समझौता नहीं है जो उक्त अधिनियम के भाग । के प्रावधानों के अनुरूप है। दूसरे शब्दों में, श्री वेणुगोपाल के अनुसार, भले ही संरचना या प्रक्रिया पार्टियों के समझौते के अनुसार हो, लेकिन यदि संरचना या प्रक्रिया उक्त अधिनियम के भाग । के प्रावधानों के साथ संघर्ष में है तो पंचाट को अपास्त किया जा सकता है। श्री वेणुगोपाल के अनुसार "ऐसे समझौते को विफल करना" शब्दों का अर्थ यह नहीं है कि न्यायाधिकरण की संरचना या मध्यस्थ प्रक्रिया के संबंध में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री वेणुगोपाल के अनुसार, मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना के संबंध में एक समझौता

जो उक्त अधिनियम के भाग । के प्रावधान के अनुरूप नहीं है, कानून में अमान्य होगा और इसलिए "असफल" वाक्यांश के अंतर्गत कवर किया जाएगा। ऐसा समझौता"। उनका कहना है कि "ऐसे समझौते को विफल करना" शब्द का अर्थ उस समझौते को विफल करना है जो उक्त अधिनियम के भाग । के प्रावधान के अनुरूप है। उनका कहना है कि धारा 34(2)(ए)(वी) प्रतिवादियों को पंचाट को चुनौती देने और इसे अपास्त करने का अधिकार देती है ।

हमारे विचार में, धारा 34(2)(ए)(v) को सुझाए गए तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है। धारा 34(2)(ए)(v) केवल तभी लागू होती है जब " मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना पार्टियों के समझौते के अनुसार नहीं थी"। ये शुरुआती शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना पार्टियों के समझौते के अनुसार है, जैसा कि इस मामले में है, तो इस प्रावधान के तहत कोई चुनौती नहीं हो सकती है। "जब तक ऐसा कोई समझौता इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत न हो" का प्रश्न तभी उठेगा जब मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना पार्टियों के समझौते के अनुसार नहीं होगी। जब संरचना या प्रक्रिया पार्टियों के समझौते के अनुरूप नहीं होती है तो पार्टियों को पंचाट को चुनौती देने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन ऐसे मामले में भी पंचाट को चुनौती देने का अधिकार प्रतिबंधित है। चुनौती केवल तभी दी जा सकती है जब

पार्टियों का समझौता भाग । के प्रावधान के साथ टकराव में हो, जिसे पार्टियां अपमानित नहीं कर सकतीं। दूसरे शब्दों में, भले ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना पार्टियों के समझौते के अनुसार नहीं है, लेकिन यदि ऐसी संरचना या प्रक्रिया उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है , तो पार्टी पंचाट को चुनौती नहीं दे सकती है . शब्द "इस तरह के समझौते को विफल करना" मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना प्रदान करने वाले समझौते का संदर्भ है। वे तभी चलन में आएंगे जब मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना के लिए कोई समझौता नहीं होगा। यदि मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना के लिए कई समझौता नहीं है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना उक्त अधिनियम के भाग । के अनुसार नहीं थी, तो भी पुरस्कार के लिए चुनौती उपलब्ध होगी। इस प्रकार जब तक मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना पार्टियों के समझौते के अनुसार होती है, धारा 34 केवल इस आधार पर किसी पंचाट को चुनौती देने की अनुमति नहीं देती है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना प्रावधानों के साथ संघर्ष में थी। उक्त अधिनियम के भाग । के. इससे यह भी पता चलता है कि धारा 10 एक अपमानजनक प्रावधान है।

उत्तरदाताओं 1 और 2 ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है , जैसा कि धारा 16 में प्रदान किया गया है ,

यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने आपत्ति करने का अपना अधिकार छोड़ दिया है।

उपरोक्त कारणों से, चर्चा किए गए कानून के प्रश्न पर विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच के फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। तद्नुसार उन्हें अलग रखा जाता है ।

अपील को अब उठाए गए अन्य पहलुओं पर विचार करने के लिए दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाएगा।

अपील निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्वेता शर्मा-प्रथम, (आरजेएस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है औरकिसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक औरआधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा औरनिष्पादन औरकार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।